अतिमहत्वपूर्ण /समयबद्ध

संख्या-10/2016/398 /35-3-2016-1(63)/2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ:दिनांक 19 फरवरी, 2016**

विषय: राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) डेटाबेस को अद्तन करने व आधार संख्यांक की सीडिंग के क्षेत्रीय कार्य हेतु प्रगणना कार्य के लिये नामित कर्मचारियों के योगदान के संबंध में।

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त जनपदों में एनपीआर डेटाबेस को अद्तन करने व उसमें आधार संख्यांक की सीडिंग का कार्य चल रहा है। ऐसा संज्ञान में आया है कि कतिपय विभागों जिनमें उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोदद्योग बोर्ड, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश वन निगम, महानिदेशक पर्यटन तथा स्थानीय लेखा परीक्षक के कर्मचारीगण प्रमुख हैं, जिन्हें नगर निगम लखनऊ क्षेत्र की प्रगणना हेतु लगाया गया है, किन्तु सबंन्धित कर्मचारीगण उक्त कार्य हेतु रिपोर्ट नहीं कर रहें हैं, जिससे राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में शिथिलता परिलक्षित हो रही है।

2- आप से अनुरोध है कि अपने संबंन्धित अधीनस्थ को इस आशय हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे राष्ट्रीय महत्व के इस कार्य में अपना योगदान सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(**आलोक रंजन**)
मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-10/2016/398(1)/ 35-3-2016-1(63)/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, 8 तिलक मार्ग, पीरपुर हाऊस।
2- श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0टी0 रोड, कानपुर।
3- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश वन निगम, 21/475 इन्दिरानगर, लखनऊ।
4- महानिदेशक, पर्यटन निदेशालय, सी-13, विपिन खण्ड, पर्यटन भवन, गोमतीनगर।
5- स्थानीय लेखा परीक्षक, स्थानीय निकाय, 8वॉ तल, इन्दिरानगर।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- समस्त नगरआयुक्त, उत्तर प्रदेश।
9- संयुक्त निदेशक, जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उनक पत्रांक डीसीओ-यूपी/35-2011/एनपीआर-44 दिनांक 10.02.2016 के सन्दर्भ में।
10- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(नवीन चन्द्र त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।